दिनांक 18.08.2018 को उप विकास आयुक्त, गिरिडीह की अध्यक्षता में मनरेगा योजना का आहूत समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति पंजीकृत -

उप विकास आयुक्त, गिरिडीह के द्वारा बैठक में उपस्थित प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं सहायक अभियंता का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई -

MGNREGA

मनरेगा अन्तर्गत Time & Motion Study की प्रगति की समीक्षा के क्रम में बेंगाबाद प्रखण्ड के द्वारा बताया गया कि कार्य शुरू हो गया है। गिरिडीह प्रखण्ड के द्वारा बताया गया कि दो दिनों के अन्दर कार्य शुरू कर दिया जायेगा। गाण्डेय प्रखण्ड के द्वारा योजना स्वीकृत होते ही कार्य आरंभ करने की बात कही गयी।

मनरेगा कर्मियों के क्षेत्र भ्रमण की समीक्षा की गयी। डुमरी सहायक अभियंता के द्वारा पाँच पंचायत का भ्रमण, बिरनी बी0पी0ओ0 के द्वारा पाँच पंचायत, गाण्डेय, बेंगाबाद एवं डुमरी बी0पी0ओ0 द्वारा तीन पंचायत का भ्रमण, गावाँ बी0पी0ओ0 द्वारा चार पंचायत का भ्रमण, तिसरी सहायक अभियंता द्वारा पाँच पंचायतों का भ्रमण, बेंगाबाद सहायक अभियंता द्वारा सात पंचायतों का भ्रमण करने की बात कही गयी। मनरेगा कर्मियों को योजना की जाँच योजना स्थल पर जाकर करने का निदेश दिया गया। सहायक अभियंता को लम्बित योजनाओं का विशेष रूप से निरीक्षण करने का निदेश दिया गया।

TCB की समीक्षा के क्रम में बगोदर प्रखण्ड के दोनों प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी बिना सूचना के बैठक से अनुपस्थित पाये गये। दोनों प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारियों का एक दिन का वेतन काटने का निदेश दिया गया। सहायक अभियंता, दीपक कुमार यादव के द्वारा TCB योजना का कोई कार्य नहीं किया गया है। सहायक अभियंता, दीपक कुमार यादव से स्पष्टीकरण पूछते हुए अविलम्ब योजना को स्वीकृत कराते हुए कार्य शुरू कराने का निदेश दिया गया। बेंगाबाद प्रखण्ड में Site Selection नहीं हुआ है। किसी भी प्रखण्ड में लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है। सभी प्रखण्डों को लक्ष्य के 20% पर दो दिनों के अन्दर कार्य शुरू करने का निदेश दिया गया। बगोदर प्रखण्ड को 2000 RFT, बेंगाबाद को 4000 RFT, बिरनी को 2000 RFT, देवरी को 4000 RFT, धनवार, डुमरी, पीरटांड, तिसरी को 3000 RFT, गाण्डेय को 4000 RFT, गावाँ को 2000

RFT, जमुआ को 4000 RFT, गिरिडीह को 3000 RFT एवं सरिया को 2000 RFT का लक्ष्य दिया गया है।

बागवानी योजना के समीक्षा के क्रम में सभी प्रखण्डों के द्वारा बताया गया कि सभी जगह Pit Filling का कार्य हो गया है। बगोदर प्रखण्ड में चार योजनाओं में पौधा रोपण हो गया है, बेंगाबाद प्रखण्ड में एक योजना में, बिरनी प्रखण्ड में चार योजनाओं में तथा डुमरी में तीन योजनाओं में पौधा रोपण का कार्य हो गया है। सभी प्रखण्डों को यथाशीघ्र पौधा रोपण कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया। पौधा की गुणवत्ता की जाँच हेतु एक टीम बनाकर Randomly जाँच करने का निदेश प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को दिया गया। धनवार प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि कनीय अभियंता के द्वारा ही Final MB Book किया जाता है। सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि मापी पुस्त सहायक अभियंता के द्वारा सत्यापित कराया जाय। बिना सक्षम अभियंता के सत्यापन का सिर्फ JE के मापी प्रविष्टि का कोई वैधानिक मूल्यांकन नहीं होता है। इस आशय का कार्यालय आदेश निकाला जाय।

Delay Payment की समीक्षा के क्रम गिरिडीह बी0पी0ओ0 के द्वारा बताया गया कि सिन्दवरिया मुखिया के द्वारा FTO नहीं करने के कारण Delay Payment में वृद्धि हो रही है। B.D.O. मुखिया जी से स्पष्टीकरण पूछेंगे। सरिया के बी0पी0ओ0 के द्वारा बताया गया कि सरिया उत्तरी पंचायत के मुखिया के बाहर चले जाने के कारण Delay Payment बढ़ गया है। इन प्रखण्डों को शीघ्र Delay Payment शून्य करने का निदेश दिया गया है।

Reject FTO की समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि संबंधित के आधार,बैंक खाता,IFSC Code इत्यादि की पूर्णरूपेण जाँच कर E-KYC एवं Verify करते हुए FTO पुनः Generate किया जाय। जमुआ एवं गिरिडीह प्रखण्ड को अगस्त,2018 तक शून्य करने का निदेश दिया गया। संबंधित लाभुक के अन्य योजनाओं की भी Reject FTO को Regenerate करने का निदेश दिया गया।

Pending Scheme की समीक्षा के क्रम में सरिया के 07, देवरी के 04, गाण्डेय के 20, जमुआ के 33, गिरिडीह के 12 एवं गावाँ के 07 Scheme को Pending पाया गया। इन लम्बित योजनाओं को अतिशीघ्र बंद करने का निदेश दिया गया।

आँगनबाड़ी की समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि इस विषय पर मुखिया की बैठक बुलाकर सभी लम्बित आँगनबाड़ी केन्द्रों को शीघ्र पूर्ण कराने का निदेश दिया जाय।

➢ आवास योजना के लाभुकों को IHHL से आच्छादित करने का निदेश दिया गया।

अन्त में सधन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

उप विकास आयुक्त-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गिरिडीह।

ज्ञापांक 2042 **/अभि0,गिरिडीह, दिनांक** 31 **अगस्त, 2018**

प्रतिलिपिः- संबंधित सहायक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि सभी प्रखण्डों से संबंधित मामलों का अनुपालन प्रखण्डवार अनुपालित कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित सहायक अभियंता/कनीय अभियंता, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी कार्यपालक अभियंता, गिरिडीह/जिला अभियंता, जिला परिषद, गिरिडीह को अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि बैठक की कार्यवाही को जिले की वेवसाईट में Upload करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रखण्ड के सभी वरीय पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उपायुक्त, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

उप विकास आयुक्त-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गिरिडीह।